

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी  
जिला जोधपुर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या : 100/2019

प्रार्थी

अप्राथी

राजस्थान राज्य जारिये तहसीलदार लूणी बनाम

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर

किस्म मुकदमा- अन्तर्गत धारा 131, 136 भू- राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
23.10.2019	<p>तहसीलदार लूणी के पत्रांक 3869 दिनांक 16.10.2019 के द्वारा भूअभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत जमाबन्दी में मौजूदा खसरो को राजस्व नक्शों में दर्ज खसरो से वन-टू-वन मिलान के मध्यनजर जिन खसरो में रेकर्ड, मौका व नक्शे में गिनता आ रही हैं यथा किसी सरकारी खसरे में से कई खातेदारों को पूर्व में गे.मु.बाड़ा एवं अन्य किस्म के छोटे-छोटे रकबे के खसरे आवंटित किये गये जिनका नामान्तरण पुरत पर नजरी नक्शा आवंटन व आवंटन सम्बन्धी दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध नहीं है जिनकी दिशा व स्थिति स्पष्ट नहीं हैं। अतः ऐसे खसरे को मूल खसरे में एकीकरण के प्रस्ताव हल्का पटवारी सालावारा मय अनुशंषा भूअनिरीक्षक काकाणी एवं तहसीलदार लूणी से प्राप्त हुये, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा अन्तर्गत 131,136 के तहत मूल प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को माफिक प्राप्त मूल प्रस्ताव अनुसार (DILRMP) के तहत रेकर्ड में एकीकरण कर रेकर्ड दुरुस्त करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।</p>	

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
लूणी (जोधपुर) राज.